minerals, the work of laying the railway line will commence this year and when is the work expected to be completed?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE):

(a) and (b). Reconnaissance Engineering-*cum*-Traffic Surveys for a new broad gauge line from Ranchi Road to Hazaribagh town and Hazaribagh Town to Hazaribagh Road have been carried out. The proposed line will be about 118 kms. long and is expected to cost about Rs. 20 crores at present day prices. The line is not expected to attract sufficient traffic and has not been found to be remunerative. In view of the difficult financial position, it will not be possible to undertake work of construction on the project at present.

A survey for construction of a line from Ranchi Road to Giridih *via* Hazaribagh town and Koderma has been proposed in the Budget for 1977-78.

इंदौर-दोहद रेलवे लाइन

200. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंदौर–दोहद रेलवे लाइन के बारे में जनता की लम्बे अर्से से चली आ रही मांग की जानकारी है ;

(ख) क्या यह रेलवे लाइन अलाभप्रद मानी गई है यद्यपि आदिवासी क्षेत्र के विकास की दृष्टि से इसकी अत्यधिक आवश्यकता है ;

(ग) क्या वर्तमान सरकार की घोषित नीति के अनुसार ऐसी सभी रेलवे लाइनों के प्रश्न पर पुर्नविचार किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो भाग (क) में उल्लिखित रेलवे लाइन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ), नयी लाइनों के लिए धन की बड़ी कमी है । अधिक नयी लाइनों को शुरू करने और उनके लिए धन के बारे में योजना आयोग से विचार विमर्श करना होगा ।

रोधोपुर-निरगली तथा प्रतापगंज-भीमनगर रेल लाइनों को पुनः चालू करना

201. **श्री विनायक प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने समस्तीपुर डिवीजन के अन्तर्गत रोधोपुर–निरमली तथा प्रतापगंज–भीमनगर रेल लाइनों को पुनः चालू करने के लिए 1974 में स्वीकृति दे दी थी ;

(ख) क्या इसी डिवीजन में समरी–बख्तियारपुर–बिहारीगंज, सहरसा–महिषी तथा-दौर मधेपुरा-सिधेश्वर को मिलाने वाली नई रेल लाइन का सर्वेक्षण 1974 में पूरा किया जा चुका है और तत्कालीन रेल मंत्री ने सर्वेक्षण प्रतिवेदन को तत्काल क्रियान्वित करने की घोषणा की थी; और

(ग) सरकार का इसे कब तक पूरा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) राधोपुर–सरायगढ़ खंड को, जो सरायगढ़–प्रतापगंज खंड का एक भाग है, पुनः चालू किया जा चुका है । निरमली–सरायगढ़ और प्रतापगंज–भीमनगर खंडों को पुनः चालू

करने के लिए सर्वेक्षण करने के आदेश 1974 में दिये गये थे और वे पूरे हो चुके हैं ।

(ख) जी हां, सिमरी-बख्तियारपुर से बिहारीगंज और दौरमधेपुरा से सिंघेश्वर स्थान तक नयी रेलवे बिछाने के लिए सर्वेक्षण करने के आदेश 1974 में दिये गये थे । सहरसा से तारापीठ महिषी तक नयी मीटर लाइन बिछाने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण की स्वीकृति 1976 में दे दी गयी थी । इन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के संबंध में तत्कालीन रेल मंत्री की घोषणा के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच के बाद, संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, इन लाइनों के निर्माण के संबंध में निर्णय लिया जाएगा ।

Chittaranjan Township declaring as "Protected Area"

202. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Chittaranjan township has been declared as Protected Area;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government are considering to withdraw the order?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE):

(a) Yes.

(b) It was considered necessary and expedient in public interest and also in the interest of the safety and security of the place to prevent entry of unauthorized persons.

(c) No.

Souvenirs Published by a Political Party

203. DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether some companies have given advertisements in the souvenirs published by a political party in the years 1975-76 and 1976-77;

(b) if so, name of the party which received the advertisements, names of the companies which gave the advertisements and amount paid for the advertisements by each of the companies during that period;

(c) whether the Income-Tax Department have issued a circular declaring this amount exempt from income-tax;

(d) if so, whether a copy of the said circular will laid on the Table of the House; and

(e) whether the companies have given advertisements in contravention of any law and if so, the action Government propose to take against such companies?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) Yes, Sir.

(b) Full particulars as asked for are not yet available.

(c) and (d). Three circulars have been issued by the Central Board of Direct Taxes from time to time on advertisement in souvenirs, copies of the same, being circulars No. 19 dated 13th June, 1969, No. 200 dated 28th June, 1976 and No. 203 dated 16th July, 1976, are laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-333/77.]

(e) Action as may be found necessary will be taken on receipt of full particulars which are being called for.